आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ 23(46)लेखा/आकाशि/विविध/छात्रवृति/2019-20/374 दिनांक- 13/09/19

समस्त प्राचार्य,

राजकीय महाविद्यालय/निजी महाविद्यालय,

राजस्थान

विषयः- वर्ष 2019-20 में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एन.एस.पी) पर शिक्षण संस्थाओं के पंजीयन तथा छात्रवृति के ऑनलाईन आवेदन पत्रों एवं उनकी स्क्रूटनी कराने बाबत।

संदर्भः- अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान, जयपुर का पत्रांक-एफ 4(3)अ.स.नि/मेरिट कम मीन्स/छात्रवृति/2019-20/8764-70 दिनांक 27.08.19

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2019-20 में अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिक्ख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी) हेतु संचालित केन्द्रीय प्रवर्तित पोस्ट मैट्रिक व मेरिट कम मीन्स छात्रवृति योजनाओं में समुदाय के अध्ययनरत विद्यार्थियों को दिनांक-31.10.19 तक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किये जाने की अंतिम तिथि निर्धारित की है।

अतः उक्त संबंध में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अधिकाधिक संख्या में पंजीयन बाबत एवं छात्रवृति योजनान्तर्गत प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों की पूर्ण जांच उपरान्त निर्धारित अवधि में 15.11.19 तक पात्र आवेदनों की ऑनलाईन स्क्रूटनी कर अग्रेषित करवाये जाने की व्यवस्था करावें, ताकि योजना से कोई भी पात्र विद्यार्थी लाभान्वित होने से वंचित नहीं रहे, अन्यथा सम्पूर्ण जिम्मेदारी शिक्षण संस्थान की होगी तथा इस संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट www.minority.rajasthan.gov.in एवं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (www.scholarship.gov.in) पर भी देखी जा सकती है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

(प्रदीप कुमार बोरड़)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव,
उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ 23(46)लेखा/आकाशि/विविध/छात्रवृति/2019-20/375-76 दिनांक-13/09/19

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को डायरी क्रमांक-6615 दिनांक-3.9.19 के क्रम में।
2. प्रभारी, वेबसाइट को अपलोड हेतु।

(एन.एल. शर्मा)
वित्तीय सलाहकार

राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ0 राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर–302015
ईमेलः raj.minocell@gmail.com
वेबसाईटः www.minority.rajasthan.gov.in
फोनः 0141–2711773

क्रमांकः– एफ4(3)अ0स0नि0/मेरिट कम मीन्स/छात्रवृत्ति/2019–20/ 8764-70 दिनांक :– 27/8/19

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
4. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
5. शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
6. आयुक्त, पशु पालन विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
7. आयुक्त, कृषि विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।

विषय :– वर्ष 2019–20 में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर शिक्षण संस्थाओ के पंजीयन तथा छात्रवृति के ऑनलाईन आवेदन पत्रों एवं उनकी स्क्रूटनी कराने बाबत।

संदर्भः– अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पत्रांक दिनांक 21.08.2019 के क्रम मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में निवेदन है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2019–20 में अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिक्ख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी) हेतु संचालित केन्द्रीय प्रवर्तित पोस्ट मैट्रिक व मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजनाओ में समुदाय के अध्ययनरत विद्यार्थियों को दिनांक 31.10.2019 तक नेशलन स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किये जाने की अंतिम तिथि निर्धारित की है।

राज्य की शिक्षण संस्थान का अभी तक पोर्टल पर पंजीयन बहुत कम हुआ है जिसके सम्बन्ध में दिनांक 19.08.2019 को मंत्रालय स्तर पर आयोजित कार्यशाला में गहरा अफसोस जाहिर किया गया है। अतः ऐसी शिक्षण संस्थाऐं जिनमें समुदाय के विद्यार्थी अध्ययनरत है तथा जिनका एन0एस0पी0 पोर्टल पर अभी तक पंजीयन नही है, उन्हें संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों से सम्पर्क कर निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से पंजीयन करावें, अन्यथा ऑनलाईन आवेदन किया जाना संभव नही होगा।

शिक्षण संस्थाओं हेतु अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकारन नई दिल्ली द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशः–

1. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा नेश्नल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जिन विद्यालयों/महाविद्यालयों अथवा संस्थाओं के DISE CODE/ AISHE CODE वैध नही है, ऐसी संस्थाओं के पंजीकरण निरस्त कर दिये गये है। इन संस्थाओं द्वारा वैध/VALID DISE CODE/ AISHE CODE प्राप्त करने पर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पुनः पंजीकरण करवाया जा सकता है।
2. पोर्टल पर पूर्व में पंजीकृत सभी संस्थाओं के पंजीकृत ई–मेल आई.डी. व मोबाइल नं0 Deactivate कर दिए गए हैं, जिसके अन्तर्गत संबंधित शिक्षण संस्था नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर लॉगिन कर होमपेज पर प्रदर्शित अनुसार संस्था registration form भरें एवं ऑनलाइन फार्म सबमिट कर रेफरेन्स आई.डी. प्राप्त करें। संस्था प्रधान फार्म का प्रिंट आउट प्रमाणित कर संबंधित कार्यालय, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी में जमा करावें, तत्पश्चात् जिला अधिकारी द्वारा वेरिफिकेशन के पश्चात् शिक्षण संस्था को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर एक्टिवेट कर दिया जावेगा।

अतः उक्त संबंध में आपके अधीनस्थ शिक्षण संस्थाओं को नेश्नल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अधिकाधिक संख्या में [illegible]यन बाबत् आवश्यक निर्देश एवं छात्रवृति योजनांतर्गत प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों की पूर्ण जांच उपरान्त निर्धारित अवधि में [illegible]2019 तक पात्र आवेदनों की ऑनलाईन स्क्रूटनी कर अग्रेषित करवायें जाने के भी शीघ्र निर्देश जारी कराने का श्रम करे, [illegible]जना से कोई भी पात्र विद्यार्थी लाभान्वित होने से वंचित नही रहे, अन्यथा सम्पूर्ण प्रकार की जिम्मेदारी संबंधित शिक्षण [illegible] होगी तथा इस संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय बेवसाइट www.minority.rajasthan.gov.in एवं National Scholarship Portal (www.scholarships.gov.in) पर देखी जा सकती है।

26-8-19
(डॉ0 गुंजन सोनी)
अतिरिक्त निदेशक

क्रमांकः– एफ4(3)अ0स0नि0/मेरिट कम मीन्स/छात्रवृति/2019–20/ 8771-73 दिनांक :– 27/8/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक, निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

(सुरज्ञान मीना)
सांख्यिकी अधिकारी

कार्यालय शासन सचिव
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या 6815
दिनांक 7/9/19

Desktop/computer f/pms letter /2019-20